संलग्नक-1.6 A

(6)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में चमड़खान- कनौली- सेलापानी मोटर मार्ग का नव निर्माण (8.00कि०मी०) 0.398है०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम टाना -रैली
तहसील रानीखेत, जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (—×— हे0 आरक्षित वन भूमि, —×— हे0 सिविल सोयम भूमि 0.150 हे0, वन पंचायत भूमि 0.248 हे0) अर्थात कुल 0.398 हे0 वन भूमि का निर्माण लो०क० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत टाना-रैली द्वारा दिनांक 17-10-014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम टाना/मेहलखण्ड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– Kushal
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत टाना/रैली, वि०ख० ताड़ीखेत
जिला-अल्मोड़ा

कैलाश चन्द्र पन्त
प्रधान
ग्राम पंचायत टाना-रैली
वि० ख० ताड़ीखेत (अल्मोड़ा)
ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

16 B

दि० 17-10-2014 (7)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 17-10-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत टाना - रैनो

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1 -	कैलाशचन्द्रपन्त स्व०श्री चन्द्रादत्त पन्त	K pant
2 -	सुन्दर सिंह S/o धरमसिंह	[signature]
3 -	ललित पन्त S/o स्व० हीरावल्लभ	Lalit Pant
4 -	देवी राम S/o स्व० रामलाल	देवीराम
5 -	चन्द्रसिंह स्व० [illegible] सिंह	[signature]
6 -	आनन्दसिंह स्व० महेन्द्रसिंह	[signature]
7 -	नन्द किशोर S/o श्री चेतराम	Nand
8 -	[illegible] S/o श्री [illegible]	[signature]
9 -	~~धनसिंह S/o [illegible]सिंह~~	[signature]
10 -	~~[illegible]~~ मनोहर राम S/o [illegible]	मनोहर राम
11 -	महेश चन्द्र S/o [illegible]	महेश चन्द्र
12 -	बालमसिंह S/o [illegible]सिंह	Balam Singh

Kushal

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ताड़ीखेत
जिला–अल्मोड़ा

K pant 17-10-2014
कैलाश चन्द्र पन्त
ह0 / प्रधान
ग्राम प्रधान रैनो
वि० ख० ताड़ीखेत (अल्मोड़ा)

1.6 C

(8)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद - अल्मोड़ा में चम्पड़खान - कनौली - सेलापानी मोटर मार्ग (8.00 कि०मी०) 0.398 है०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रानीखेत
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रानीखेत

उपखण्ड रानीखेत परिक्षेत्र के अन्तर्गत चम्पड़खान - कनौली - सेलापानी मोटर मार्ग (—0— हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.150 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.248 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.398 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रानीखेत) की दिनांक 17-10-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एन०पी० वाजपेई, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री एन०पी० वाजपेई उपजिलाधिकारी रानीखेत अध्यक्ष
2– श्री बी०के० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत सदस्य
3– श्री रमेश चन्द्र पन्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी ताड़ीखेत सदस्य/सचिव
4– श्री मती हेमा देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र नौगांव सदस्य

हेमा देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य नौगांव
कनोली (ताड़ीखेत)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चम्पड़खान - कनोली - सेलापानी मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु 0.398 हे0 वन भूमि प्रा०ख० लो०नि०वि० रानीखेत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6 ha

(9)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रानीखेत परिक्षेत्र के अन्तर्गत चचड़खान-कनौली-खेलापानी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.398 हे० वन भूमि लो.नि.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– रानीखेत
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– रानीखेत
जनपद अल्मोड़ा

23.3 1.6E (10)

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. **परियोजना का नाम** :— जनपद अल्मोड़ा में चमड़खान कनौली सैलापानी मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि0 01.12.2014 के अनुसार प्रमाण–पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित **जनपद अल्मोड़ा में चमड़खान कनौली सैलापानी मोटर मार्ग का नव निर्माण** के निर्माण हेतु 0.398 है0 वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/– 04/12/14

जिलाधिकारी

Ameen Pramar Patra/Arvind

1.6 F

(11)

FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector : Almora

No :......................................

Dated:...............

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that ***0.398*** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. ***P.D. PWD, Ranikhet*** Uttarakhand (Name of user agency) for Construction ***of Chamarkhan-Kanoli-Selapani Motor Road*** (Purpose for diversion of forest land) in ***Almoar*** district falls within jurisdiction of ***Tana/Mehalkhand*** village(s) in ***Ranikhet*** Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ***0.398*** Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

04/12/14

जिला अधिकारी

Tehsildar S.D.M. D.M.अल्मोड़ा

जिला समाज कल्याण अधिकारी

अल्मोड़ा

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

उप जिलाधिकारी

रानीखेत

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षेत्र- ...L.H....

तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा)

5/11/14

12/11/14

रानीखेत जि० अल्मोड़ा

1.6 9

(12)

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date 04-12-2014 at time..............................at Almora. in which application claiming rights of C.Tana-mehal Khanali area measuring .... hect. for the Construction of chamr Khan-Kanali-selapani m/r... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

04/12/14

जिला आबकारी अधिकारी
अल्मोड़ा.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

1.6 H

(13)

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.362 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी

04.12.14

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)